(212)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक एफ.3(20)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 4 JAN 2013

अधिसूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 10 के उप–नियम (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा "राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010" के अधीन विधिमान्य पात्रता प्रमाणपत्र धारण कर रहे उद्यम (उद्यमों) की स्थापना के लिये कृषि भूमि के गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुज्ञा की दशा में उक्त नियमों के नियम 9 के उप–नियम(1) के अन्तर्गत देय प्रीमियम शुल्क में पचास प्रतिशत की छूट प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग/उद्योग विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग/वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, जयपुर।
7. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त सभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय/तृतीय/शासन उप सचिव, प्रथम, नगरीय विकास विभाग
11. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समस्त स्थानीय निकायों को प्रसारित किये जाने हेतु।
12. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
13. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास, राजस्थान।
14. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना का राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवावें।
15. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उक्त अधिसूचना का राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किये जाने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

(आर.के.पारीक)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय